
स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु संविदा

इस संविदा के भागीदार राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र को ध्यान में रखते हुए मौलिक मानवाधिकारों, मानव मात्र की प्रतिष्ठा और महत्व तथा स्त्री—पुरुष समानता के अधिकार के प्रति दृढ़तापूर्वक पुनःआरथा व्यक्त करते हैं,

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मद्देनज़र भेदभाव की आग्राह्यता के सिद्धान्त के प्रति अपनी दृढ़ आरथा व्यक्त करते हैं और घोषित करते हैं कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा होते हैं तथा प्रतिष्ठा और अधिकार में समान हैं। इसलिए जैसा कि इसमें कहा गया है हर प्राणी सभी तरह के अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है। उनमें लैंगिक भेदभाव सहित किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जा सकते,

मानवाधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र को स्वीकार करते हुए स्त्री — पुरुष के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक और सांस्कृतिक — सभी अधिकारों के प्रयोग में समान अधिकार को सुनिश्चित करने का दायित्व लेते हैं,

स्त्री—पुरुष के अधिकारों में समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट अभिकरणों के तत्वाधान में निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय संविदाओं को स्वीकार करते हैं,

स्त्री—पुरुष के बीच समानता के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और विशिष्ट अभिकरणों द्वारा अंगीकार किए गए संकल्पों, घोषणाओं और सिफारिशों को स्वीकार करते हैं, यद्यपि स्त्री विरोधी संघन भेदभाव पर ये तमाम उपस्कर भौजूद हैं पर इसके बावजूद भी भेदभाव का अस्तित्व कायम है, स्वीकार करते हैं, यह प्रत्याहान करते हैं कि स्त्री विरोधी भेदभाव मानव समानता के सिद्धान्त और मानव सम्मान के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह भेदभाव स्त्री—पुरुष समानता के सापेक्ष स्त्रियों के लिए अपने देशों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की भागीदारी में एक बड़ी बाधा है। इससे समाज और परिवार की समृद्धि का विकास वाधित होता है और अपने देश तथा मानवता की सेवा के लिए स्त्रियों की अंतश्ववित्त के पूर्ण विकास में कठिनाई पैदा होती है,

यह मानते हैं कि गरीबी की स्थिति में महिलाओं को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोज़गार के अवसर और अन्य जरूरतों की सुलभता अत्यन्त ही न्यून होती है,

यह स्वीकार करते हैं कि न्याय और समानता पर आधारित नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना स्त्री—पुरुष के बीच समानता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी,

इस बात पर बल देते हैं कि प्रजाति पार्थक्य, सभी प्रकार के जातिवाद, नस्लवाद, जातीय भेदभाव, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, आक्रमण, विदेशी आधिपत्य और प्रमुत्त तथा राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में दखलअंदाजी का उन्मूलन स्त्री—पुरुष के अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए आवश्यक है,

यह आस्था रखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की मज़बूती, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों के भेदभाव के बगैर सभी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग, आम रूप से पूर्णतः निरस्त्रीकरण और विशेष रूप से दृढ़ तथा प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत नाभिकीय निरस्त्रीकरण, न्याय के सिद्धान्त, देशों के पारस्परिक संबंधों में समानता और आपसी लाभ, असंबद्ध उपनिवेशी प्रमुता तथा विदेशी संप्रमुता के देशों में जनता के आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय संप्रमुता के प्रति सम्मान और प्रादेशिक अखंडता, सामाजिक प्रगति और विकास को बढ़ावा देंगे और इसके

परिणामस्वरूप स्त्री—पुरुष के बीच पूर्ण समानता प्राप्त करने में सहयोग देंगे,

इस बात से सहमत हैं कि देश के पूर्ण विकास, विश्व कल्याण और शान्ति के लिए सभी क्षेत्रों में पुरुष की समानता के आधार पर स्त्रियों की अधिकतम भागीदारी अपेक्षित है,

इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि परिवार—कल्याण और समाज—विकास में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है मगर अभी तक उनको इसका श्रेय नहीं दिया गया है। अतः मातृत्व की सामाजिक महत्ता और परिवार तथा बच्चे के विकास में माता—पिता दोनों की भूमिकाओं और स्त्रियों की सृजनशीलता को भेदभाव का आधार नहीं मानना चाहिए। बच्चों की देखभाल और विकास में स्त्री—पुरुष तथा पूरे समाज का साझा दायित्व अपेक्षित है,

यह जानते हैं कि स्त्री—पुरुष के बीच पूर्ण समानता प्राप्त करने के लिए समाज और परिवार में स्त्री—पुरुष की पारम्परिक भूमिका में परिवर्तन अपेक्षित है,

‘स्त्री विरोधी भेदभाव उन्मूलन’ के घोषणा — पत्र में निर्धारित सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के ऐसे भेदभावों को समाप्त करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए,

निम्नांकित से पूरी तरह सहमत हैं:

भाग 1

अनुच्छेद 1

वर्तमान संविदा में ‘स्त्री—विरोधी भेदभाव’ का अर्थ लिंग के आधार पर ऐसी किसी भी तरह की भिन्नता, वहिकार या प्रतिवंध है जिसका परिणाम या मकसद महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी और क्षेत्र में मानवाधिकारों या मौलिक आजादी की मान्यता, उपभोग या प्रयोग को हानि पहुँचना या समाप्त करना हो। यह परिभाषा स्त्री विरोधी भेदभाव को उनके वैवाहिक स्तर से पृथक करके देखती है और इस भेदभाव को पुरुषों के साथ बराबरी के मापदंड पर तोलती है।

अनुच्छेद 2

राष्ट्र सदस्य स्त्री—विरोधी सभी तरह के भेदभाव की निन्दा करते हैं। इसे समाप्त करने के उद्देश्य से ये सदस्य अविलंब भेदभाव उन्मूलन की नीति बनाने और समुचित तरीके अपनाने हेतु प्रयास करने के लिए सहमत हैं। इसके लिए ये राष्ट्र निम्न कार्य शुरू कर रहे हैं :

- (क) अभी तक जिन राष्ट्रों के राष्ट्रीय संविधान या अन्य समुचित विधानों में स्त्री—पुरुष समानता का सिद्धांत समाविष्ट नहीं है तो उनमें शामिल करना और इस सिद्धांत के व्यावहारिक रूप को कानून और अन्य समुचित माध्यमों से सुनिश्चित करना,
- (ख) स्त्री—विरोधी सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार दंड विधान सहित समुचित विधान और अन्य दूसरे मानदंडों को अंगीकार करना,
- (ग) स्त्री—पुरुष समानता के आधार पर स्त्रियों के अधिकारों के लिए कानूनी सुरक्षा स्थापित करना और भेदभाव को किसी भी कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों और दूसरे सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से स्त्रियों को प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना,
- (घ) स्त्री—विरोधी भेदभाव के किसी भी कार्य या व्यवहार से दूर रहना तथा यह सुनिश्चित करना कि

सार्वजनिक प्राधिकरण और संस्थान भी इस दायित्व के अनुपालन हेतु कार्य करेंगे,

- (च) किसी व्यक्ति, संगठन या उद्यम द्वारा किए गए स्त्री-विरोधी भेदभाव के उन्मूलन हेतु सभी प्रकार के समुचित कदम उठाना,
- (छ) स्त्री-विरोधी भेदभाव पैदा करने वाले मौजूदा कानून, अधिनियम, रीति – रिवाज और व्यवहारों को संशोधित या समाप्त करने के लिए विधान – व्यवस्था सहित सभी समुचित मानदंडों को अपनाना,
- (ज) स्त्री-विरोधी भेदभाव पैदा करने वाले सभी दंडात्मक प्रावधानों को निरस्त करना।

अनुच्छेद 3

राष्ट्र सदस्य स्त्री-पुरुष समानता के आधार पर सभी क्षेत्रों – विशेषतः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक – में स्त्रियों के मानवाधिकारों तथा मौलिक रूपतंत्रता के कार्यव्यवहार और उपभोग की गारंटी के प्रयोजन से स्त्री-विकास और प्रोन्नति को सुनिश्चित करने के लिए विधि – निर्माण सहित सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।

अनुच्छेद 4

1. राष्ट्र सदस्य स्त्री-पुरुष के मध्य समानता को त्वरित करने के उद्देश्य से अपनाए गए अस्थायी विशेष मानदंड संविदा में परिभाषित भेदभाव की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। लेकिन इनके परिणाम किसी भी रूप में असमानता और पृथक स्तर के पोषक नहीं होने चाहिए। समान अवसर और व्यवहार के लक्ष्यों की संप्राप्ति ही जाने पर इन मानदंडों को स्थगित कर दिया जाएगा।
2. मातृत्व सुरक्षा के उद्देश्य से प्रस्तुत संविदा में समाविष्ट मानदंडों सहित राष्ट्र सदस्यों द्वारा अपनाए गए विशेष मानदंड भेदभावकारी नहीं माने जाएंगे।

अनुच्छेद 5

राष्ट्र सदस्य निम्नलिखित के लिए सभी समुचित मानदंड अपनाएंगे:

- (क) लैंगिक दृष्टि से श्रेष्ठता या हीनता अथवा पारंपरिक रूप से निर्धारित स्त्री-पुरुष की भूमिकाओं के आधार पर समाज में व्याप्त पूर्वग्रह और रुद्धिगत तथा दूसरी सभी परंपराओं को मिटाने के उद्देश्य से स्त्री-पुरुष आवरण के सामाजिक और सांस्कृतिक तरीकों में संशोधन करना,
- (ख) सामाजिक कार्य के रूप में मातृत्व और सभी मामलों में मूलतः बच्चों के हितों को समझते हुए उनके विकास और देखभाल में स्त्री-पुरुष (माता-पिता) के समान दायित्व की स्वीकृति से समाविष्ट परिवार – शिक्षा को सुनिश्चित करना। साथ ही साथ यह स्वीकार करना कि हर मामले में बच्चों का हित सर्वोपरि है।

अनुच्छेद 6

राष्ट्र सदस्य सभी तरह के स्त्री – व्यापार और स्त्री – वेश्यावृत्ति के शोषण को कुचलने के लिए विधि – निर्माण सहित सभी समुचित मानदंड अपनाएंगे।

भाग 2

अनुच्छेद 7

राष्ट्र सदस्य अपने देश के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में स्त्री—विरोधी भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएंगे। ये राष्ट्र खासतौर से निम्नलिखित मामलों में स्त्री—पुरुष के समान अधिकार को सुनिश्चित करेंगे—

- (क) सभी चुनावों और सार्वजनिक जनमंच में मतदान करना और सभी सार्वजनिक निकायों में निर्वाचन की योग्यता रखना,
- (ख) सरकार की नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में भागीदारी तथा सभी स्तरों पर शासकीय कार्यालय में बहाली और सभी प्रकार के शासकीय कार्यों का निष्पादन,
- (ग) देश के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के सरोकार वाले गैर—सरकारी संगठनों और संस्थानों में भागीदारी।

अनुच्छेद 8

राष्ट्र सदस्य विना किसी भेदभाव के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य में पुरुष के समान स्त्री की भागीदारी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सरकार के प्रतिनिधित्व का अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठायेंगे।

अनुच्छेद 9

1. राष्ट्र सदस्य पुरुष के समान स्त्रियों को भी राष्ट्रीयता ग्रहण करने, बदलने या कायम रखने के लिए समान अधिकार की स्वीकृति प्रदान करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि न तो किसी विदेशी से विवाह करने पर और न ही शादी के दौरान पति द्वारा राष्ट्रीयता बदल लेने पर पली की राष्ट्रीयता अपने आप बदल जाएगी, ना ही उसे राष्ट्रहीन कर दिया जाएगा अथवा पति की राष्ट्रीयता थोप दी जाएगी।
2. राष्ट्र सदस्य स्त्रियों को अपने बच्चों की राष्ट्रीयता के मामले में पुरुष के समान अधिकार की स्वीकृति देंगे।

भाग 3

अनुच्छेद 10

राष्ट्र सदस्य स्त्री—विरोधी भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी समुचित कदम उठाएंगे ताकि शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री के लिए पुरुष के समान अवसर सुनिश्चित किये जा सकें। वे इस उद्देश्य से स्त्री—पुरुष समानता के आधार पर निम्नलिखित दशाओं को विशेष रूप से सुनिश्चित करेंगे :

- (क) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी वर्ग के शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन और डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को पुरुषों के समान ही जीवन—वृत्ति शर्तें और व्यावसायिक मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा। यह समानता सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित पूर्व विद्यालय, सामान्य, तकनीकी, वृत्तिक और उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए भी सुनिश्चित होगी,
- (ख) समान पाठ्यवर्चया, समान परीक्षाएं, समान योग्यता और स्तर के शिक्षक तथा समान गुणवत्ता के विद्यालय परिसर और उपस्कर की सुलभता,

- (ग) सभी स्तरों पर स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं की रुद्धि-वद्ध अवधरणा का उन्मूलन और सभी प्रकार की शिक्षा में सहशिक्षा और दूसरे प्रकार की शिक्षा जो उस उद्देश्य की संप्राप्ति में मदद देगी को बढ़ावा देना। इसके लिए विशेष रूप से पाद्यपुस्तकों और विद्यालयी कार्यक्रमों में संशोधन तथा अध्यापन विधियों का रूपान्तरण,
- (घ) छात्रवृत्तियों और अन्य दूसरे अध्ययन अनुदानों के लाभ के समान अवसर,
- (च) स्त्री-पुरुष के बीच मौजूदा शिक्षा के अंतराल को भरकर समानता के लाभ को यथासंभव समयपूर्व सम्पन्न करने के उद्देश्य से प्रीढ़ और कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों सहित सतत शिक्षा के कार्यक्रमों की सुलभता और प्रवेश के लिए समान अवसर,
- (छ) छात्राओं की विद्यालय छोड़ने (झाप आउट्स) की दरों में कमी लाना और शिक्षा पूर्ण किए बगैर स्थायी रूप से विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित करना,
- (ज) खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा में सक्रिय भागीदारी के लिए समान अवसर,
- (झ) परिवार नियोजन संबंधी सूचना और सलाह सहित रखास्थ और परिवार कल्याण को सुनिश्चित करने में मदद के लिए विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों की सुलभता।

अनुच्छेद 11

1. राष्ट्र सदस्य स्त्री-पुरुष समानता के आधार पर रोजगार के क्षेत्र में स्त्री-विरोधी भेदभाव को दूर करने के लिए सभी प्रकार के अपेक्षित कदम उठाएंगे। निम्नांकित रिथ्टियों में स्त्रियों के समान अधिकार होंगे:
 - (क) सभी मनुष्यों के लिए काम का अहस्तांतरकरणीय अधिकार,
 - (ख) रोजगार के मामले में चयन के समान मानदंड सहित समान अवसर का अधिकार,
 - (ग) स्वतंत्र रूप से वृत्ति और रोजगार चुनने का अधिकार, समान प्रोन्नति, रोजगार सुरक्षा तथा सेवा शर्तों और लाभ का अधिकार। प्रशिक्षित, उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्वती प्रशिक्षण सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण का अधिकार,
 - (घ) कार्य की गुणवत्ता के मूल्यांकन में समानता के साथ-साथ समान कार्य के लिए समान लाभ और समान आचरण सहित समान पारिश्रमिक का अधिकार,
 - (च) भुगतान अवकाश सहित विशेष मामलों – सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, बीमारी, असमर्थता, बुढ़ापा और कार्य अक्षमता की अन्य रिथ्टि में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार,
 - (छ) पुनरुत्पादन के कार्यकलापों की सुरक्षा सहित स्वास्थ्य की रक्षा और कार्य की दशाओं में सुरक्षा का अधिकार।
2. राष्ट्र सदस्य विवाह और मातृत्व के आधार पर स्त्रियों के विरुद्ध भेदभाव को रोकने और उनके कार्य के प्रभावी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए समर्चित कदम उठायेंगे :
 - (क) गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के आधार पर स्त्रियों की वर्खास्त करने या दंडित करने और वैयाहिक रिथ्टि के आधार पर उनकी वर्खास्तगी के भेदभाव को रोकना,
 - (ख) पूर्व रोजगार, वरिष्ठता या सामाजिक भूतों की हानि के बगैर वेतन या समकक्ष

सामाजिक लाभों के साथ मातृत्व अवकाश की सुविधा देना,

- (ग) विशेषकर शिशु देखभाल सुविधाओं के नेटवर्क की स्थापना और विकास को बढ़ावा देकर कार्य दायित्व और सार्वजनिक जीवन में माता – पिता दोनों को संयुक्त जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम बनाने हेतु आवश्यक समर्थनकारी सामाजिक सेवाओं के प्रावधान को प्रोत्साहित करना।
- (घ) गर्भावस्था में हानिकर प्रभाव डालने वाले कार्यों से स्त्रियों को विशेष सुरक्षा का प्रावधान करना।
3. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी ज्ञान के प्रकाश में इस अनुच्छेद में आए संबंधित सुरक्षात्मक विधानों की समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर आवश्यकतानुसार उनका संशोधन, निरसन या विस्तार किया जाएगा।

अनुच्छेद 12

1. राष्ट्र सदस्य स्त्री—पुरुष समानता के आधार पर स्त्री—विरोधी भेदभाव को समाप्त करने के लिए परिवार नियोजन सहित रखारें देखभाल सेवाओं को स्त्रियों के लिए सुनिश्चित रूप से सुलभ कराने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में सभी उपयुक्त कदम उठायेंगे।
2. राष्ट्र सदस्य इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के होते हुए भी गर्भावस्था और स्तन्यकाल के दौरान पर्याप्त पौष्टिक भोजन के साथ – साथ आवश्यकतानुसार गर्भ, प्रसव और प्रसूति की दशाओं में निःशुल्क सेवाएं प्रदान करके स्त्रियों की उपयुक्त सेवाएं सुनिश्चित करेंगे।

अनुच्छेद 13

राष्ट्र सदस्य स्त्री—पुरुष समानता के आधार पर आर्थिक और सामाजिक जीवन क्षेत्रों में समान अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनसे संबंधित स्त्री—विरोधी भेदभाव दूर करने के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त कदम उठायेंगे। इसके साथ ही विशेषकर निम्नांकित अधिकारों में भी समानता लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जायेंगे:

- (क) परिवारिक लाभों का अधिकार,
- (ख) बैंक से कर्ज, गिरवी और दूसरे प्रकार के वित्तीय ऋणों का अधिकार,
- (ग) मनोरंजक कार्यकलापों, खेलकूदों और सांस्कृतिक जीवन के सभी कार्यों में भागीदारी का अधिकार।

अनुच्छेद 14

1. राष्ट्र सदस्य ग्रामीण स्त्रियों के अमीन्द्रिक क्षेत्रों के कार्यों सहित परिवारिक जीवनयापन की आर्थिक उत्तरजीविता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं और उनके सामने आने वाली विशेष समस्याओं पर ध्यान देंगे। ग्रामीण स्त्रियों के लिए इस संविदा के प्रावधानों के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये राष्ट्र सभी उपयुक्त कदम उठायेंगे।
2. राष्ट्र सदस्य स्त्री—पुरुष समानता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री—विरोधी भेदभाव दूर कर समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी उपयुक्त कदम उठायेंगे ताकि स्त्रियां ग्राम – विकास में भागीदारी कर सकें और लाभ उठा सकें। इसके लिए विशेष रूप से निम्नांकित अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे:

- (क) सभी स्तरों पर विकास योजना के विस्तार और कार्यान्वयन में भागीदारी,
- (ख) परिवार नियोजन सेवाओं में सूचना, मार्गदर्शन सहित पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की सुलभता,
- (ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष लाभ,
- (घ) स्त्रियों की तकनीकी योग्यता बढ़ाने के लिए सभी सामुदायिक और विस्तार सेवाओं के लाभों के साथ—साथ सभी प्रकार के प्रशिक्षण और शिक्षा — औपचारिक और अनौपचारिक दोनों — तथा कार्यात्मक साक्षरता की प्राप्ति,
- (च) रोजगार या स्वरोजगार के माध्यम से समान आर्थिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए आत्म सहायता दल और सहकारिता की स्थापना,
- (छ) सभी सामुदायिक कार्यकलापों में भागीदारी,
- (ज) कृषि ऋण, व्यापार सुविधाएं और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सुलभता और भूमि पुनर्वास योजनाओं सहित भूमि और कृषि सुधार में समानता का व्यवहार,
- (झ) विशेष रूप से आवास, साफ—सफाई, विद्युतीकरण, जलापूर्ति यातायात और चार — संप्रेक्षण में पर्याप्त जीवन दशाओं का समान उपभोग।

भाग 4

अनुच्छेद 15

1. राष्ट्र सदस्य कानून के सम्मुख स्त्रियों को पुरुषों के अनुरूप समानता प्रदान करेंगे।
2. ये सदस्य दीवानी मामलों में स्त्रियों को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार प्रदान करेंगे तथा उनके प्रयोग के लिए समान अवसर भी देंगे। विशेषतः ये राष्ट्र स्त्रियों को अनुबंध करने और जायदाद की देखभाल तथा प्रवंध करने का समान अधिकार प्रदान करेंगे। ये राष्ट्र न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में प्रक्रिया के सभी स्तरों पर स्त्रियों के साथ पुरुषों के समान व्यवहार करेंगे।
3. ये राष्ट्र इस बात पर सहमत हैं कि स्त्रियों की वैधनिक क्षमता को प्रतिबंधित करने वाले सभी अनुबंध और दूसरे सभी निजी प्रपत्र कानूनी प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएंगे।
4. राष्ट्र सदस्य आवागमन, आवास और अधिवास के चयन की स्वतंत्रता से संबंधित कानून में स्त्री — पुरुष को समान अधिकार प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 16

1. राष्ट्र सदस्य विवाह और पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए सभी मामलों में स्त्री—विरोधी भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे तथा स्त्री—पुरुष समानता के आधार पर इसे सुनिश्चित करेंगे,
 - (क) विवाह करने का समान अधिकार,
 - (ख) स्वतंत्रतापूर्वक जीवन साथी का चयन तथा उसकी स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से विवाह करने का समान अधिकार,

- (ग) विवाह के दौरान और विवाह भंग होने पर समान अधिकार और जिम्मेदारियाँ,
- (घ) बच्चों से जुड़े मसलों में माता-पिता की वैवाहिक स्थिति को महत्व न देते हुए उनके समान अधिकार और उत्तरदायित्व होंगे। सभी मामलों में बच्चों का हित सर्वोच्च होगा,
- (च) स्वतंत्रता और उत्तरदायित्वपूर्वक बच्चों की संख्या और अंतराल तय करने का समान अधिकार और ऐसी सूचना, शिक्षा तथा साधनों तक पहुंच जो उन्हें इन अधिकारों के इस्तेमाल के योग्य बना दें,
- (छ) संरक्षण, अभिरक्षा, न्यासिता और गोद लेना अथवा ऐसी ही किसी और व्यवस्था की अवधारणा जो राष्ट्रीय विधान में मौजूद हो, से संबंधित क्षेत्रों में समान अधिकार और उत्तरदायित्व होंगे। सभी मामलों में बच्चों का हित सर्वोच्च होगा,
- (ज) पति-पत्नी के रूप में पारिवारिक नाम, व्यवसाय और रोजगार के चयन के साथ-साथ समान वैयक्तिक अधिकार,
- (झ) संपत्ति के स्वामित्व, अधिग्रहण, प्रबंधन, प्रशासन, उपभोग और वितरण – मूल्य लेकर या बिना किसी मूल्य के – के संदर्भ में पति-पत्नी दोनों के समान अधिकार।
- 2 बच्चे की मंगनी और शादी के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित करने और पंजीकरण कार्यालय में अनिवार्य रूप से शादी का पंजीकरण कराने के लिए विधि-निर्माण सहित सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई अनिवार्य होगी।

भाग 5

अनुच्छेद 17

- प्रस्तुत संविदा के कार्यान्वयन की प्रगति पर गौर करने के उद्देश्य से 'स्त्री-विरोधी भेदभाव उन्मूलन समिति' (इसके बाद इसे केवल समिति कहा जाएगा) का गठन किया जाएगा। प्रारंभ में इस समिति के 18 सदस्य होंगे। जब 35वां राष्ट्र इस संविदा की पुष्टि करेगा या स्वीकृति प्रदान करेगा तो समिति की सदस्य संख्या 23 हो जायेगी। समिति के सदस्य उच्च नैतिकता वाले और संविदा में समाविष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। राष्ट्र सदस्य अपने नागरिकों में से इन सदस्यों का चयन करेंगे। ये सदस्य वैयक्तिक क्षमता के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। समिति के सदस्यों के चयन में समान रूप से भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा ताकि प्रमुख न्यायिक प्रणालियों सहित विभिन्न सम्यताओं की समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- राष्ट्र सदस्यों के मनोनीत व्यक्ति गुप्त मतदान द्वारा समिति के सदस्यों का चुनाव करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों में से एक व्यक्ति को नामित कर सकता है।
- प्रस्तुत संविदा के लागू होने के छः माह बाद प्रारंभिक चुनाव होगा। प्रत्येक चुनाव के कम से कम तीन माह पहले संयुक्त राष्ट्र महासंघिव राष्ट्र सदस्यों को पत्र भेजकर उन्हें दो माह के भीतर सदस्य नामित करने के लिए कहेंगे। महासंघिव नामित सदस्यों की सूची वर्णनुक्रम में तैयार करेंगे। इस सूची में सदस्य के साथ नामित करने वाले राष्ट्र का भी उल्लेख होगा। यह सूची संविदाधीन राष्ट्रों को प्रस्तुत की जाएगी।
- संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासंघिव द्वारा आयोजित संविदाधीन राष्ट्रों की बैठक में समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इस बैठक का कोरम राष्ट्र सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति

से पूरा होगा। समिति का सदस्य वही व्यक्ति चुना जाएगा जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ हो और राष्ट्र सदस्यों के उपस्थिति और बोट डालने वाले प्रतिनिधियों का भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ हो।

5. समिति के सदस्य चार वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। किर भी प्रथम चुनाव में चुने गए सदस्यों में से 9 सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा। प्रथम चुनाव के ठीक बाद इन नीं सदस्यों के नामों का चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा द्वारा से किया जाएगा।
6. 35वें राष्ट्र द्वारा संविदा की पुष्टि या रवीकृति के बाद अनुच्छेद 2, 3 और 4 के प्रावधानों के अनुसार समिति के 5 अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इस अवसर पर चुने हुए अतिरिक्त सदस्यों में से दो सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा। इन दो सदस्यों के नामों का चुनाव समिति के अध्यक्ष द्वारा द्वारा करेंगे।
7. आकर्षिक रूप से सदस्यता रिक्त होने पर संबंधित राष्ट्र अपने नागरिकों में से दूसरा समकक्ष विशेषज्ञ समिति के अनुमोदन से नियुक्त करेगा।
8. महासभा से अनुमोदन लेकर, संयुक्त राष्ट्र संसाधनों से समिति के सदस्य परिलक्षियां प्राप्त करेंगे। समिति के दायित्वों के महत्व को ध्यान में रखते हुए महासभा सदस्यों की सेवा शर्त और दशाएं निर्धारित कर सकती है।
9. प्रस्तुत संविदा के अंतर्गत समिति के कार्यकलापों के प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए स्टाफ (कर्मचारी) और सुविधाएं संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रदान की जाएंगी।

अनुच्छेद 18

1. राष्ट्र सदस्य प्रस्तुत संविदा के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पारित विधेयक, उठाए गए कानूनी, न्यायिक प्रशासनिक या अन्य कदमों और प्रगति की रिपोर्टें समिति के अवलोकनार्थ राष्ट्रसंघ महासचिव को निम्न कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत करेंगे:
 - (क) राष्ट्र में संविदा के लागू होने के एक वर्ष बाद, और
 - (ख) इसके बाद कम से कम हर चौथे वर्ष और जब कभी समिति अनुरोध करे।
2. प्रस्तुत संविदा में अन्तर्निहित दायित्वों की पूर्ति में आने वाली कठिनाईयों के स्वरूप और कारकों का उल्लेख इन रिपोर्टों में किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19

1. समिति कार्यप्रणाली के अपने नियम अपनाएंगी।
2. समिति अपने अधिकारियों का चुनाव दो वर्ष के लिए करेंगी।

अनुच्छेद 20

1. प्रस्तुत संविदा के अनुच्छेद 18 के अनुसार प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा के लिए समिति की साल में एक बैठक होगी। सामान्यतः यह बैठक अधिक से अधिक दो सप्ताह की होगी।
2. सामान्यतः समिति की बैठकें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर या समिति द्वारा निर्धारित किए गए किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर होगी।

अनुच्छेद 21

- यह समिति अपने कार्यकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट आर्थिक और सामाजिक परिषद् के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट में यह राष्ट्र सदस्यों से प्राप्त रिपोर्टों और सूचनाओं की समीक्षा करके अपने सुझाव और सिफारिशों भी भेज सकती है। अगर किसी राष्ट्र सदस्य से इस प्रकार के सुझाव और सिफारिशों प्राप्त होती हैं तो समिति अपनी रिपोर्ट में टिप्पणियों के साथ इन्हें शामिल करेगी।
- महासंघिव समिति की रिपोर्ट 'महिला अवस्थिति आयोग' को सूचनार्थी भेजेंगे।

अनुच्छेद 22

प्रस्तुत संविदा के प्रावधानों के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ अभिकरण इसके कार्यान्वयन की समीक्षा संबंधी कार्य में प्रतिनिधित्व के हकदार होंगे। समिति संविदा के प्रावधानों के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ अभिकरणों को कार्यान्वयन की समीक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

भाग 6

अनुच्छेद 23

इस संविदा का कोई भी अंश उन प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा जो स्त्री-पुरुष समानता की प्राप्ति में अधिक सहायक है। इनमें निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं –

- (क) राष्ट्र सदस्य के विधान में, अथवा
- (ख) उस राष्ट्र में लागू कोई दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय संविदा, संधि या अनुबंध में।

अनुच्छेद 24

प्रस्तुत संविदा में निर्धारित अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति के लिए राष्ट्र सदस्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आवश्यक कदमों की शुरुआत करेंगे।

अनुच्छेद 25

- सभी राष्ट्रों के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत संविदा को खुला रखा जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र महासंघिव इस संविदा के अमानतदार अभिहित किए गए हैं।
- प्रस्तुत संविदा अनुसमर्थन के लिए खुली है। अनुसमर्थन से संबंधित पत्रकों को संयुक्त राष्ट्र महासंघिव के पास जमा किया जा सकेगा।
- प्रस्तुत संविदा को सभी राष्ट्रों के प्रवेश के लिए खुला रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघिव के पास संविदा में प्रवेश हेतु स्वीकृति पत्र भेजने के पश्चात् ही प्रवेश प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 26

- इस संविदा के संशोधन हेतु कोई भी राष्ट्र सदस्य किसी भी समय अनुरोध कर सकता है। संशोधन संबंधी अधिसूचना लिखित रूप में संयुक्त राष्ट्र महासंघिव के पास भेजनी होगी।
- इस प्रकार के अनुरोध पर की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र की महासभा में होगा।

अनुच्छेद 27

1. संयुक्त राष्ट्र महासंघिव के पास संविदा की पुष्टि या स्वीकृति का बीसवां प्रपत्र पहुंचने के तीस दिनों के बाद प्रस्तुत संविदा लागू होगी।
2. प्रस्तुत संविदा की पुष्टि या स्वीकृति के लिए बीसवें प्रपत्र की प्राप्ति के बाद अगर कोई राष्ट्र उसकी पुष्टि या स्वीकृति का प्रपत्र भेजता है तो उसके प्रपत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के बाद यह संविदा उस राष्ट्र में लागू होगी।

अनुच्छेद 28

1. इस संविदा की पुष्टि या स्वीकृति के समय राष्ट्रों की अपनी शर्तों से संबंधित दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र महासंघिव के पास भेजा जाएगा। वे यह दस्तावेज सभी राष्ट्रों को सूचनार्थ वितरित करेंगे।
2. यदि शर्त प्रस्तुत संविदा के उद्देश्य और प्रयोजन के अनुकूल नहीं हैं तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र महासंघिव को अधिसूचना भेजकर शर्त वापस ली जा सकती है। शर्तों की वापसी के बाद महासंघिव सभी राष्ट्रों को इसकी सूचना देंगे। इस प्रकार की अधिसूचना उस दिन से लागू मानी जाएगी जिस दिन महासंघिव को प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 29

1. दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच प्रस्तुत संविदा की व्याख्या या प्रयोग से संबंधित कोई विवाद उठता है और आपसी समझीते से उसका समाधान नहीं होता तो उनमें से किसी एक राष्ट्र के अनुरोध पर इसे मध्यस्थताकारी पंचाट के पास भेजा जा सकता है। मध्यस्थता के अनुरोध के छः माह के अंदर अगर ये राष्ट्र मध्यस्थता पंचाट के गठन पर सहमत नहीं होते तो इनमें से कोई एक राष्ट्र न्यायालय के सांविधानिक अनुपालन के अनुरोध के साथ इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेज सकता है।"
2. प्रत्येक राष्ट्र सदस्य संविदा की पुष्टि या स्वीकृति पर हस्ताक्षर करते समय घोषित कर सकता है कि वह इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 की बाधता स्वीकार नहीं करता। यदि कोई राष्ट्र सदस्य इस प्रकार की शर्त रखता है तो दूसरे राष्ट्र सदस्य उस पैराग्राफ से बाध्य नहीं होंगे।
3. यदि कोई राष्ट्र सदस्य इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 की अनुरूपता में शर्त रखता है तो वह किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र महासंघिव को अधिसूचना भेजकर अपनी शर्त वापस ले सकता है।

अनुच्छेद 30

प्रस्तुत संविदा के अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रुसी और स्पेनिश पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं और संयुक्त राष्ट्र महासंघिव के पास रखे जाएंगे।

इस संविदा के लिए पूर्णतः प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी ने इसके साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किया है।